राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)(310)पोषा/SHG/समबावि/2007 (पार्ट–iii) 101532-1564 जयपुर, दिनांकः– 4.11.15

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपूर्ति किये जा रहे आर.टी.ई. पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत।
प्रसंगः–विभागीय आदेश क्रमांक 37224–256 दिनांक 23.04.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराये जा रहे आर.टी.ई पूरक पोषाहार (बेबीमिक्स) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निर्देशित किया किया गया था कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा बेबीमिक्स पोषाहार बनाते समय प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक एक–एक स्वयं सहायता समूह के पोषाहार निर्माण स्थल पर अपनी उपस्थिति में बेबीमिक्स रेसीपी के लिए निर्धारित मात्रा में खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए पोषाहार का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

वर्तमान में लगभग सम्पूर्ण राज्य में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन निर्माण एवं आपूर्ति की व्यवस्था प्रारम्भ हो चुकी है। अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूहों के पोषाहार निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया जायेगा एवं इस निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से उल्लेखित की जायेगी। यथासम्भव स्वयं सहायता समूह के पोषाहार निर्माण स्थल पर अपनी उपस्थिति में बेबीमिक्स रेसीपी के लिए निर्धारित मात्रा में खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए पोषाहार का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे। प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक अपनी उपस्थिति में पूरक पोषाहार (बेबीमिक्स) बनाये जाने का कार्य प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक स्वयं सहायता समूह के पोषाहार निर्माण स्थल पर आवश्यक रूप से कराते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरक पोषाहार का निर्माण स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा स्वयं के स्तर पर विभाग द्वारा निर्धारित रेसीपी के अनुसार किया जा रहा है।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

4.11.15
(एम.पी.स्वामी)
निदेशक

क्रमांक–एफ. 4(1)(310)पोषा/SHG/समबावि/2007 (पार्ट–iii) 101565-1914 जयपुर, दिनांकः 4.11.15
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
अति.निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, Fax 0141-2705634, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in